| तारीख हुक्म | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 17/8/23 | पत्रावली पेश। वास्ते बहस अंतिम पत्रावली दिनांक 5/9/2023 को पेश हो। | |
| 4/9/23 | पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 6/11/23 को पेश हो। | |
| 6/11/23 | पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 1/1/24 को पेश हो। | |
| 1/1/24 | पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 12/2/24 को पेश हो। | |
| 12/2/24 | पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 1/4/024 को पेश हो। | |
| 1/4/24 | पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप० हुए। बहस अंतिम सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 18/04/2024 को पेश हो। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहलमद ... हुक्म ... में ... |
|---|---|---|
| 18/4/24 | पत्रावली पेश/ पीठासीन अधिकारी ...पुनरीक्षण कार्य... मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते साबिक कार्यवाही दिनांक ...1-5-24... को पेश हो। | |
| 1/5/24 | पत्रावली पेश। हमने वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया व वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व विनिर्णय पर प्रकाश डालकर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अंकित विवादित भूमि खाता संख्या 21 खसरा संख्या 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, कुल किता 7 कुल रकबा 9.11 बीघा वाके ग्राम मेण्डी पटवार मण्डल मेण्डी जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित है। जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होना पत्रावली पर उपलब्ध सीमाज्ञान रिपोर्ट से प्रमाणित है। वादग्रस्त आराजीयात् प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, जिसकी पत्थरगढी किए जाने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडेगा। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।<br>अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित विवादित भूमि खाता संख्या 21 में से खसरा संख्या 616 रकबा 17 बिस्वा व खसरा संख्या 617 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम मेण्डी पटवार मण्डल मेण्डी की प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में उक्त आराजीयात् की पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार, हिण्डोली नियमानुसार राजकीय राशि राजकोष में प्रार्थीगण से जमा करवाकर दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमियों की पत्थरगढी करवाया जाना सुनिश्चित करे। पालना हेतु बाद अपील अवधि पत्र जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>हिण्डोली (बून्दी) | |